न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(आर.सी.ढेनवाल,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 35/2018

इन्द्रजीत सिंह निवासी प्लाट नं0 12 लाजवंती भवन सिविल लाईन टोंक

---अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी (जन सुनवाई प्रकोष्ठ) कलेक्ट्रेट टोंक

–प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय दिनांक 23.07.2018

अपील अपीलाण्ट संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी एंव अति0जिला कलेक्टर टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 07.05.2018 प्रस्तुत करने पर लोक सूचना अधिकारी एंव अति0जिला कलेक्टर टोंक द्वारा सूचना उपलब्ध करवाने हेतु आवेदन पत्र को दिनांक 10.05.2018 से लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी(जन सुनवाई प्रकोष्ठ)शाखा कलेक्ट्रेट टोंक को अन्तरित किया गया। अपीलाण्ट द्वारा निम्न वर्णित सूचना चाही गई:–

प्रार्थी बुजुर्ग सीनियर सिटीजन जो कि दवाओ पर निर्भर है ने दिनांक 28.03.2018 को कार्यालय जिला कलेक्टर टोंक मे संलग्न आवेदन की प्रति रिसिव कराइ थी, जिस पर की गई/की जा रही समस्त कार्यवाही की जानकारी पत्रावली सहित कृपा कर मुझे सूचना के अधिकार तहत दिलाने का कष्ट करे।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में उक्त सूचना प्राप्त नहीं होने पर अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तथा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलार्थी उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी (जन सुनवाई प्रकोष्ठ) कलेक्ट्रेट टोंक को पत्र कमांक 1101 दिनांक 12.07.2018 द्वारा जवाब भिजवाने हेतु निर्देशित करने पर लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी (जन सुनवाई प्रकोष्ठ) कलेक्ट्रेट टोंक ने पत्र कमांक 2982 दिनांक 18.07.2018 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी को पत्र कमांक 1713–16 दिनांक 21.05.2018 के द्वारा नियमानुसार शुल्क लेखा शाखा कलेक्ट्रेट टोंक मे जमा करवाकर चाही गई सूचना प्रभारी अधिकारी प्रतिलिपि शाखा कलेक्ट्रेट टोंक के यहां से प्राप्त करने हेतु सूचित किया गया था। अपीलार्थी ने शुल्क राशि जमा नहीं करवाकर सूचना प्राप्त नहीं की है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी (जन सुनवाई प्रकोष्ठ) कलेक्ट्रेट टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(आर.सी.ढेनवाल)

जिला कलेक्टर एंव

प्रथम अपील अधिकारी टोंक